

उत्तराखण्ड शासन,
आवास अनुभाग-2
संख्या-879/v/आ0-2016-15(आ0)/2014टी0सी0
देहरादून : दिनांक 05 जुलाई, 2016,

अधिसूचना

उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) अधिनियम, 2013 की धारा-4(2-क)(1)(ड) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण में निम्नलिखित महानुभाव को आदेश निर्गत किए जाने की तिथि से राज्य सरकार के प्रसादपर्यन्त तक गैर सरकारी सदस्य नामित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- 1- श्री आशीष रावत, पुत्र स्व0 श्री बलबीर सिंह रावत,
निकट-पी0एन0बी0, अजबपुरकलां, देहरादून। - सदस्य

(आर0 मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव।

संख्या- /v/आ0-2016-15(आ0)/2014टी0सी0- तददिनांक।

प्रतिलिपि : संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की (हरिद्वार) को उत्तराखण्ड के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में प्रकाशनार्थ प्रेषित। गजट की 10 मुद्रित प्रतियां, उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून एवं 10 प्रतियां शासन को प्रेषित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(सुरेन्द्र सिंह रावत)
उप सचिव।

संख्या-879/v/आ0-2016-15(आ0)/2014टी0सी0- तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2- मण्डलायुक्त, गढ़वाल मण्डल कैम्प, देहरादून।
3- मुख्य प्रशासक/संयुक्त मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।
4- जिलाधिकारी, देहरादून।
5- सम्बन्धित महानुभाव।
6- गार्ड फाईल।

Seen

CA

आज्ञा से
(सुरेन्द्र सिंह रावत)
उप सचिव।

102
11-07-16